

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

रु 100

ONE
HUNDRED RUPEES



सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

NOTARIAL

NOTARIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

GL 083838

प्रारूप-"अ"

सत्र 2023-24 में स्थापित की जाने वाली डिप्लोमा तकनीकी शिक्षण संस्थाओं की सोसाइटी/ट्रस्ट के अध्यक्ष और सचिव द्वारा निरीक्षण समिति के समक्ष निरीक्षण के समय प्रस्तुत किये जाने वाले नोटरी शपथ-पत्र का प्रारूप

हम मधु भारती एवं सुनील कुनार रोरिया क्रमशः अध्यक्ष एवं सचिव रोरिया समिति छर्गा अलीगढ़ शपथपूर्वक निम्नवत् बयान करते हैं-

- यह कि सोसाइटी/ट्रस्ट द्वारा रोरिया ग्रुप ऑफ फार्मसी छर्गा अलीगढ़ नामक डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी शिक्षण संस्थान की स्थापना सत्र 2023-24 से किया जाना प्रस्तावित है।
- यह है कि हमारी सोसाइटी/ट्रस्ट के नाम रसैनी छर्गा में गाटा संख्या 717,718 एवं 843 रकबा क्रमशः 0.5711 एवं 0.307967 हेक्टेयर (कुल रकबा 8760.67 हेक्टेयर) भूमि है।
- यह कि उपरोक्त भूमि पर किसी प्रकार का कोई भी वाद किसी भी न्यायालय में नहीं चल रहा है, और भूमि विवाद रहित है।
- यह कि उपरोक्त पते पर सोसाइटी के नाम उपलब्ध भूमि के गाटा संख्या 717,718,843 एवं रकबा 8760.67 है क्रमशः 0.5711 है 0.307967 है 0 कुल रकबा 8760.67 वर्ग मीटर सोसाइटी की बैठक दिनांक 03.07.2022 द्वारा पारित किया गया है। जिस पर तकनीकी शिक्षण संस्थान स्थापित किया जाना प्रस्तावित है।

क्रमशः

मधु

- 6. यह कि सार्वजनिक भूमि को एक सार्वजनिक शैक्षणिक संस्थान के संचालन हेतु गठनी का निर्माण अनुमोदित करने के अनुमति किया गया है।
- 6. यह कि निर्माण समिति के समस्त सदस्यों को एक सौमहर्षी के रूप में एक ही निर्मित एक निर्धारित गठनी को ही निर्धारित समिति के समस्त निर्माण हेतु अनुमति किया गया है।
- 7. यह कि इस भूमि एक एक ही निर्मित गठनी को सार्वजनिक शैक्षणिक संस्थान का ही संचालन किया जाएगा।
- 8. यह कि इस संस्था में प्राथमिक भारतीय तकनीकी शिक्षा परियोजना अनुमोदित एवं प्राथमिक शिक्षा परिषद से सम्बद्ध पाठ्यक्रमों को प्रयोग करना के अनुमति की सार्वजनिक में प्रविष्टता प्रदान किया जाएगा।
- 9. यह कि सार्वजनिक भूमि को एक ही निर्मित गठनी में प्राथमिक शिक्षा परियोजना अनुमोदित एवं सम्बद्ध संस्था पाठ्यक्रमों के अधिनियम किसी अन्य अधिनियम/विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित/सम्बद्ध कोई अन्य संस्थान/विद्यालय/महाविद्यालय/अन्य/विश्वविद्यालय आदि का संचालन न ही पूर्व में कभी किया गया है और न ही भविष्य में कभी किया जायेगा।
- 10. यह कि संस्थान के संचालन हेतु आवश्यक कक्षा कम, प्रयोगशालाओं एवं कार्यशालाओं आदि को अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद एवं प्राथमिक शिक्षा परिषद के नगरों के अनुमति ही सुसज्जित किया जायेगा।
- 11. यह कि संस्था के संचालन हेतु आवश्यक सैद्धिक एवं अर्थव्ययक स्टाफ को तैनाती सोसाइटी/ट्रस्ट द्वारा सब प्रारम्भ को पूर्व कर लिया जायेगा।



[Signature]
 80 सचिव

Manager
 Roria Samiti Chhara Aligarh

[Signature]
 80 अध्यक्ष

अध्यक्ष
 अखिल भारतीय, एन. ए. अलीगढ़

Notified By
 HAVE BEEN MADE THE JUDICIAL FOR
 KANUNGO DE BANG KI LE COURT

[Signature]
 21/7/23

[Signature] of *[Signature]* Mathu Bharati

[Signature]
 21/7/2023

P. S. RACHELA Advocate
 Regn. No. 3963/01
 Civil Court ALIGARH